RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉरपोरेशन लि.

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–5

क्रमांकः ए.2(7)9/88(3)05/ 21
दिनांकः जून 18, 2020

कार्यालय आदेश

सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक प.5(31)साप्र/3/82 दिनांक 02.06.2020 के अनुसरण में निगम प्रबन्धन द्वारा पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक ए.2(6)503/2012/1020 दिनांक 26.02.2014 एवं ए.2(7)9/88(3)/05/151 दिनांक 26.07.2012 की संलग्न शर्तों के बिन्दु संख्या 1 एवं 5 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:

1. **बिन्दु संख्या 1 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन सम्मिलित किया जाता है:**

   पूर्व से निर्धारित मासिक वित्तीय सीमा में स्थानीय कॉल्स/एस.टी.डी./मोबाईल फोन कॉल्स/इन्टरनेट/ब्रॉडबैण्ड सुविधायें सम्मिलित होंगी। सम्बन्धित अधिकारी को स्वयं के नाम से मोबाईल का पोस्टपेड कनेक्शन ही लेना होगा। ब्राडबैण्ड कनेक्शन के लिए स्पष्ट किया जाता है कि सम्बन्धित अधिकारी को स्वयं के नाम से पोस्टपेड कनेक्शन लेने की प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि किसी सर्विस प्रोवाइडर द्वारा ब्राडबैण्ड हेतु पोस्टपेड कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तथा सम्बन्धित अधिकारी पोस्टपेड के स्थान पर प्रीपेड कनेक्शन को अधिक उपयोगी मानता है तो ब्राडबैण्ड का प्रीपेड कनेक्शन निम्न शर्तों के अध्यधीन लेने की अनुमति होगी:

   I प्रीपैड कनेक्शन देने पर सर्विस प्रोवाईडर द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों की एक प्रति प्रथम बिल के साथ कार्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी।
   II प्रीपैड का बिल नियमित रूप से प्रति माह पुनर्भरण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। त्रैमासिक/छःमाही आधार पर नहीं।
   III प्रीपैड कनेक्शन का उपयोग डी.टी.एच. के लिये नहीं किया जायेगा।
   IV पूर्ववत् राज्य सरकार के द्वारा टेलीफोन यंत्र/मॉडम/डोंगल उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा तथा ना ही इनके क्रय के व्यय का पुनर्भरण देय होगा।

2. **बिन्दु संख्या 5 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन सम्मिलित किया जाता है:**

   "ब्राडबैण्ड हेतु प्रीपैड कनेक्शन लेने की स्थिति में यदि भुगतान ऑनलाईन भी किया जाता है तो भुगतान की पुष्टि भी ऑनलाईन प्राप्त होती है। उक्त पुष्टि सम्बन्धित ऑनलाईन–ऐप, ई–मेल अथवा एस.एम.एस. के माध्यम से भी प्राप्त होती है। उक्त ऑनलाईन पुष्टि के स्क्रीन शॉट का प्रिंट आउट लिया जा सकता है जिसके वेरिफिकेशन पर भुगतान किया जा सकता है। ऐसे में भुगतान रसीद के बिना सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं रहेगी।"

उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेश दिनांक 26.02.2014 एवं 26.07.2012 में सलग्न अन्य शर्ते तथा पूर्व में निर्धारित वित्तीय सीमा यथावत रहेगी।

उक्त सम्बन्ध में वित्तीय सलाहकार की सहमति व प्रबन्ध निदेशक की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है।

(राजेन्द्र शर्मा)
सलाहकार (ए. एण्ड एम.)

प्रतिलिपि :

1. समस्त नियंत्रक अधिकारी/समस्त इकाई प्रभारी/समस्त प्रकोष्ठ प्रभारी
2. प्रबन्धक (बिल्स)/प्रकोष्ठ प्रभारी (जीएडी)
3. सम्बन्धित पत्रावली

प्रतिलिपि निम्न को भी :

1. निजी सचिव, अध्यक्ष
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक